भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 4340
दिनांक 19 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न

दुग्ध का आयात

4340. श्री टी. आर. बालूः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के घरेलू उत्पादन में भारी कमी के कारण निकट भविष्य में प्रतिवर्ष लगभग 3.5 करोड़ टन दुग्ध और उसके उत्पादों का आयात करने की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एसबीआई के एक हालिया अध्ययन के अनुसार, दुग्ध सहित डेयरी उत्पादों के आयात से घरेलू दुग्ध उत्पादकों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में दुग्ध के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने और डेयरी उद्योग की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) और (ख): जी नहीं। भारत सरकार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के दुग्ध संघों और अन्य हितधारकों के परामर्श से, देश में दूध की स्थिति की नियमित निगरानी करती है। हितधारकों के पास पर्याप्त वस्तु भंडार होने के कारण स्थिति स्थिर बनी हुई है। वर्ष 2023-24 के दौरान अनुमानित दूध उत्पादन 239.30 मिलियन टन था, जिसमें प्रति व्यक्ति उपलब्धता 471 ग्राम प्रतिदिन थी।

भारत विश्व व्यापार संगठन (WTO) का एक सदस्य देश है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए डब्ल्यूटीओ के सभी नियमों का पालन करता है, जिसमें सेनेटरी और फाइटोसेनेटरी (SPS) उपायों संबंधी समझौता भी शामिल है। भारत के एसपीएस उपायों और लागू आयात शुल्कों का अनुपालन करने वाले दुग्ध उत्पादों का देश में सीमित मात्रा में आयात किया जाता है।

(ग) भारत सरकार घरेलू दूध उत्पादन बढ़ाने और डेयरी उद्योग की सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों को अनुपूरित और संपूरित करने के लिए देश भर में निम्नलिखित डेयरी विकास योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है:

(i) राष्ट्रीय गोकुल मिशन: इसका उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाने और दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए वैज्ञानिक प्रजनन और आनुवंशिक सुधार के माध्यम से देशी बोवाइन नस्लों का संरक्षण और विकास करना है।

(ii) राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम: इसका उद्देश्य दूध और दूध उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना तथा संगठित दूध खरीद में हिस्सेदारी बढ़ाना है।

(iii) डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता: इसका उद्देश्य डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को कार्यशील पूंजीगत ऋण प्रदान करके और बाजार पहुंच को सुगम बनाकर उन्हें सुदृढ़ करना है, तथा डेयरी किसानों को समय पर और लाभकारी भुगतान सुनिश्चित करना है।

(iv) पशुपालन अवसंरचना विकास निधि: डेयरी प्रसंस्करण, मांस प्रसंस्करण, पशु चारा संयंत्र, नस्ल सुधार, टीका उत्पादन और पशु अपशिष्ट प्रबंधन में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना।

****